

एम० पी० वाद संख्या 47/17/

दार-10760888

3.03.19

वाद अभिलेख को लोक अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

वाद का अवलोकन किया गया। वाद अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इस वाद की कार्यवाही कालबाधित हो चुका है तथा उभय पक्षों के बीच लोक परिषति भग की कोई सूचना नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में इस वाद की कार्यवाही ~~काय~~ की जाती है।

[Signature]
पीठासीन पदाधिकारी,
लोक अदालत,
धनवाद।